आवश्यक

संख्या:04/2021/221/12-2-2021-1/2019 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2021

विषय: प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) के गठन हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को आकर्षक एवं लाभदायक तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कृषकों विशेषकर लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को संगठित कर कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, उनकी व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु कृषक उत्पादन संगठन नीति, 2020 शासनादेश संख्या: 35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा जारी की गयी है।

2. आप यह भी अवगत हैं कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या: एफ0 नं0 28011/2020-एम-2(पी0एल0) दिनांक 29 फरवरी, 2020 द्वारा देश में 2019-20 से 2023-24 तक कुल 05 वर्षो में 10000 नये कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन व संचालन में सहयोग हेतु नाबार्ड, एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली, एस0एफ0ए0सी0, नई दिल्ली को लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं। प्रदेश हेतु प्राप्त जानकारी के अनुसार मात्र 170 एफ0पी0ओ0 के गठन के ही लक्ष्य इस वर्ष प्राप्त हुए हैं। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में पूर्व में विभिन्न संस्थाओं यथा नाबार्ड, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, एस0एफ0ए0सी0, उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा बोर्ड के अतिरिक्त कुछ संस्थाओं द्वारा भी अद्यतन लगभग 586 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा चुका है जो प्रदेश में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होते हुए संगठन के सदस्य कृषकों को भी लाभान्वित कर रहे हैं अथवा लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।

3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक कृषक उत्पादक संगठन के गठन का लक्ष्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। ये कृषक उत्पादक संगठन क्षेत्र विशेष की कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र के विशेष उत्पादन/बाजार व क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल/अनुरूप गठित कराये जायेंगे। कृपया प्रत्येक ब्लॉक पर एक एफ0पी0ओ0 का गठन इस वर्ष सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में समीक्षा कर लिया जाये:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) विकास खण्ड जिनमें एफ0पी0ओ0 स्थापित हो गए हैं, उनकी संख्या व संस्था जिनके द्वारा यह स्थापित किया गया है एवं एफ0पी0ओ0 के द्वारा किए जा रहे कार्य।

(2) विकास खण्ड, जिनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संस्थाओं के द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही की जा रही है, उनकी संख्या व संस्था, जिनके द्वारा यह स्थापित होने वाला है एवं एफ0पी0ओ0 के द्वारा किए जाने वाले कार्य।

(3) असेवित विकास खण्ड जिनमें अभी तक कोई एफ0पी0ओ0 नहीं बना है और न ही अभी तक कोई गठन की कार्यवाही की जा रही है, का चिन्हांकन एवं इनमें संस्था का चयन एवं एफ0पी0ओ0 का गठन सुनिश्चित कराना।

4. अतएव आपसे अपेक्षा है कि अपने जनपद में अद्यतन गठित/पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों के क्षेत्र व क्रियाकलापों की समीक्षा कर प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक कृषक उत्पादक संगठन बनाये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत लक्ष्य निर्धारित करते हुए वांछित सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 29 जनवरी, 2021 तक कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 04/2021/221 (1)/12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक कराते हुए समयान्तर्गत सूचनायें कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को अनुश्रवण हेतु।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सूचनायें संकलित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड, में क्या एफ0पी0ओ0 गठित है? **हॉ/ना**	यदि हॉ तो जिस संस्था द्वारा एफ0पी0ओ0 का गठन किया गया है, उस संस्था का नाम	एफ0पी0ओ0 का नाम	एफ0पी0ओ0 के मुख्य कार्य कलाप	क्या भारत सरकार की संस्थाओं के द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही की जा रही है? **हॉ/ना**	जिस संस्था द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही की जा रही है, उसका नाम	गठित होने वाले एफ0पी0ओ0 के नाम तथा कार्य कलाप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।